24-04-2004-15,00,000 फार्म

FORM No. III

APP-A

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बजु-अदालत S. D. O. प्रथम श्रेणी मुकाम बूंदी

[illegible] बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा 88, 89, [illegible] 245/ धारा / सन् 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/11/10	वाद पत्र रजिस्टर्ड है। रिपोर्ट [illegible] पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 28/12/10 को पेश हो। वकील वादी ने [illegible] दस्तावेज की प्रति [illegible] पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। / [signature]	
28/12/10	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान [illegible] अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में [illegible] है। अन्य कार्य में व्यस्त है [illegible] कन्डोलेन्स पर है। अतः [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 17/1/11 को पेश हो। [signature]	
17/1/11	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० प्रतिवादी के तामील बाद तामील प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिवादी को तलबी हेतु पुनः तलबाना सम्मन पेश होने पर तलबी जारी की जावे। पत्रावली दिनांक 17/2/11 को पेश हो। / [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

द्वारा निष्पादित साक्ष्य धारा 91 के नोटिस एवं पेनाल्टी की रसीदें से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिसे समय-समय पर तहसीलदार, बून्दी द्वारा बेदखल कर भूमि कब्जा राज की गई है। अतः इस तनकी का निर्णय मुताबिक रेकार्ड आंशिक रूप से विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी संख्या 2- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी की विवेचना तनकी संख्या 1 में हो जाने से इस तनकी की विवेचना की आवश्यकता नहीं है।

तनकी संख्या 3- यहां यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी की किस्म मुताबिक रेकार्ड चरागाह न होकर गै0मु0 है किन्तु वादी अपने वाद को अपने कथनानुसार साबित नहीं कर पाया है। वादी विवादित आराजी पर केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है, जिसे सक्षम प्राधिकारिता द्वारा समय-समय पर बेदखल किया गया है। विवादित आराजी पर वादी को किसी भी प्रकार के अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी इस वाद से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः वाद वादी रेकार्ड एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20-10-21 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सोहन लाल, आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकार
बून्दी